भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1046

दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मासिक धर्म स्वच्छता योजना

†1046. श्री खलीलुर रहमानः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रामीण भारत में अनेक लड़कियां मासिक धर्म तथा स्वच्छ एवं किफायती मासिक धर्म सुरक्षा तक पहुंच की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती हैं/स्कूल नहीं जाती हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अनेक महिलाएं सैनिटरी नैपकिन खरीदने में असमर्थ हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मासिक धर्म स्वच्छता योजना के अंतर्गत कुल निर्धारित निधि में से कितनी धनराशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्वीकृत और उपयोग की गई?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, किशोरियों (10-19 वर्ष) में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता में सुधार हेतु मासिक धर्म स्वच्छता संवर्धन योजना का कार्यान्वयन करता है। यह योजना मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सैनिटरी नैपकिन की सुविधा बढ़ाने और सुरक्षित एवं पर्यावरण के अनुकूल निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस योजना के अंतर्गत, एनएचएम, स्कूलों और सामुदायिक मंचों का उपयोग करके आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, कई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्कूलों, आँगनवाड़ी केंद्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में कम कीमत पर या निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस 5) के आंकड़ों से पता चलता है कि मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता के तरीकों का उपयोग करने वाली 15-24 वर्ष की महिलाओं का प्रतिशत एनएफएचएस-4 में 57.6% से बढ़कर एनएफएचएस-5 में 77.3% हो गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मासिक धर्म स्वच्छता योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि अनुमोदन और व्यय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

दिनांक 05.12.2025 को उत्तर हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत मासिक धर्म स्वच्छता योजना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार एसपीआईपी अनुमोदन और व्यय (लाख रुपये में)			
क्रम संख्या	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2024-25**	
		एसपीआईपी अनुमोदन	**व्यय**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	4,382.00	1196.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
4	असम	439.33	0.00
5	बिहार	14.00	8.26
6	चंडीगढ़	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	0.00	0.00
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1.00	1.00
9	दिल्ली	323.43	177.79
10	गोवा	14.51	13.18
11	गुजरात	11,296.57	33.58
12	हरियाणा	0.00	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	100.00	528.20
14	जम्मू और कश्मीर	655.28	8.64
15	झारखंड	9.70	3.25
16	कर्नाटक	0.00	10.51
17	केरल	200.00	0.00
18	लक्षद्वीप	9.75	4.45
19	मध्य प्रदेश	282.00	0.00
20	महाराष्ट्र	1,461.09	206.64
21	मणिपुर	87.99	27.91
22	मेघालय	3.90	2.59
23	मिजोरम	0.00	0.00
24	नागालैंड	44.59	44.59
25	ओडिशा	30.42	486.22

26	पुदुचेरी	90.58	43.47
27	पंजाब	1,172.12	2.51
28	राजस्थान	0.00	0.00
29	सिक्किम	1.50	0.82
30	तमिलनाडु	4,577.03	4577.03
31	तेलंगाना	1,584.00	0.20
32	त्रिपुरा	262.47	0.00
33	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
34	उत्तराखंड	319.50	0.10
35	पश्चिम बंगाल	5,094.01	1206.23
36	लद्दाख	36.80	0.57
नोट: उपर्युक्त आँकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।			
